न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

(न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कठूमर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/311/2015

वउनवान

1. रामकरण पुत्र अरजण्टी जाति मीना (मृतक)

1/1. शांति पत्नी रामकरण जाति मीना

1/2. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामकरण जाति मीना

1/3. जयसिंह पुत्र रामकरण जाति मीना

1/4. रामा पुत्री रामकरण जाति मीनाप

निवासीयान ग्राम रेला तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. गीता पत्नी बडडनसिंह जाति मीना निवासी रेला
2. कलावती पत्नी जगदीश जाति मीना निवासी रेला
3. पप्पी पत्नी मुंशी जाति मीना निवासी रेला

तहसील कठूमर

----- गैरसायल

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री राधेश्याम चौधरी एडवोकेट : वकील सायलान

आदेश

दिनांक 01.05.2018

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 632 रकवा 0.28 हे. 635 रकवा 0.27 हे. ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी सायल तथा गैरसायल संख्या 1 ला03

की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी में सायल का 37/55 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा गैरसायला संख्या 1 ला03 का है। विवादित आराजी पर सायल एंव गैरसायलान शामलात में काविज रहकर काश्त कर रहे है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं है सायलान विवादित आराजी में अपने हिस्सा की आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है सायलान ने गेरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गेरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। गैरसायलान जबर्दस्त महिलायें हैं जो सायलान को विवादित आराजी में शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करती है तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल करना चाहती है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रही है। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गयीं तो सायलान को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना–पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 632, 635 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में सायलान के काश्तकारी कार्य करने में किसी किस्म की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने व विना तकासमा कराये उक्त आराजी को रहन वय ना करने वावत गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान बाबजूद नोटिस तामील दिनांक 21.09.2015 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 ग्राम रेला की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात कब्जे का त खातेदारी की अवट आराजी है। जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। गैरसायलान सायलान के शामलात कब्जे का त में बाधा पैदा करती है तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल करना चाहती है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायलान को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान की वहस पर मनन किया। सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी खसरा नम्बरान 632, 635 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर सायलान के पति एंव पिता रामकरण पुत्र अरजण्टी के 37/55 हिस्सा व शेष हिस्सा गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। जिस पर सायलान एंव गैरसायलान द्वारा शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। शामलात खातेदारी की आराजी में एक खातेदार द्वारा दूसरे खातेदार के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करना या विना तकासमा किये वेचान करना गैरकानूनी है। यदि गैरसायलान ने सायलान के शामलात कब्जे का त में बाधा पैदा की या

विना तकासमा रहन वय कर दिया तो अपार हानि व असुविधा सायलान को होना संभव है। गैरसायलान ने बाबजूद सूचना हाजिर अदालत होकर अपनी ओर से किसी तरह का उज्र व एतराज पेश नहीं किये है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुंविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति का विन्दु सायलान के पक्ष में प्रवल है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीयान को पाबन्द किया जाता हे कि दावे के अंतिम निस्तारण तक आराजी खसरा नम्बर 632, 635 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में सायलान के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट वो मजाहमत पैदा ना करें। सायलान को जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। रहन वय ना करें तथा मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 01.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर